आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद सं0-43/2021

सीमा कुमारी.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

पिंकी कुमारी एवं अन्य.....विपक्षीगण

10.06.2024

आदेश

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No.-15674/2021, में दिनांक 18.01.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित है:-

".....the learned counsel for the petitioner submits that the petitioner has preferred a revision petition bearing Revision Case No. 71 of 2021, which is pending adjudication before the learned Commissioner, Saran Division, Saran, hence the same be directed to be disposed off expeditiously, preferably within a period of four weeks. It is directed accordingly.

The writ petition stands disposed off."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि वर्ष 2019 में वार्ड सं0-14, ग्राम पंचायत-कोन्हवा, प्रखण्ड-दरियापुर, जिला-सारण अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्य के सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। जिसमें अपीलकर्त्ता श्रीमती सीमा कुमारी, पति-श्री जितेन्द्र मांझी, विपक्षी श्रीमती पिंकी कुमारी, पति-श्री पंकज कुमार के साथ ही अन्य अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए। इस क्रम में दिनांक 02.08.2019 को आयोजित आम सभा में सर्वाधिक मेधा अंक रहने के कारण अपीलकर्त्ता सीमा कुमारी का चयन सेविका पद हेतु किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध विपक्षी श्रीमती पिंकी कुमारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर के समक्ष एक परिवाद दिया गया। जिसकी सुनवाई के पश्चात अपीलकर्त्ता को चयनमुक्त करते हुए विपक्षी श्रीमती पिंकी कुमारी का चयन प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका पद हेतु किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता सीमा कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण के समक्ष आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-46/21 दायर किया, जिसकी सुनवाई के पश्चात दिनांक 22.05.2021 को पारित आदेश में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर के आदेश को संपुष्ट किया गया है। उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलकर्त्ता द्वारा आयुक्त न्यायालय के समक्ष आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद सं0-43/2021 दायर किया गया। वाद की सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C No. 15674/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 18.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता-उपस्थित। विद्वान सरकारी अधिवक्ता-उपस्थित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता-अनुपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका के रूप में उनका चयन सर्वसम्मति से किया गया विपक्षी सं0-01 पिंकी देवी द्वारा यह झूठ आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्त्ता सीमा कुमारी के पति-जितेन्द्र मांझी को वर्ष 2015 में एक इंदिरा आवास आवंटित है, जिसमें उनकी पत्नी का नाम नीलम देवी है। उन्ही निलम देवी द्वारा अपना नाम बदलकर सीमा कुमारी के रूप में सेविका पद पर अपना चयन करा लिया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि सच्चाई यह है कि सीमा देवी की शादी वर्ष 2017 में जितेन्द्र मांझी से हुआ है। जितेन्द्र मांझी की बहन का नाम नीलम देवी तथा उनके पति का नाम दिनदयाल मांझी है। दिनदयाल मांझी के नाम से ही इंदिरा आवास आवंटित है तथा बैंक का खाता भी नीलम देवी पति दिनदयाल मांझी के नाम से है। परन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना उन्हें सुनवाई का मौका दिए ही आदेश पारित कर दिया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण द्वारा अपने आदेश में कही यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीमा कुमारी का चयन, मार्गदर्शिका के किस कंडिका का उल्लंघन है।

उक्त कथन के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं0-01/2020 में पारित आदेश तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण द्वारा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0 46/2021 में पारित आदेश को निरस्त किया जाय तथा अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

विपक्षी को नोटिश का तामिला कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 73/N, दिनांक 16.03.2022 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से अनुरोध किए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। विपक्षी सुनवाई में अनुपस्थित है अतएव, उनका पक्ष नही जाना जा सका है।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के बिन्दुओं पर पक्ष रखते हुए बताया गया कि वर्ष 2019 में वार्ड सं0-14 ग्राम पंचायत-कोल्हवा, प्रखण्ड-दरियापुर, जिला-सारण के अनुसूचित जाति बाहुल्य केन्द्र पर सेविका पद हेतु अपीलकर्त्ता श्रीमती सीमा कुमारी, पति-श्री जितेन्द्र

Scanned with OKEN Scanner

मांझी का चयन किया गया था। उक्त चयन के विरूद्ध विपक्षी पिंकी कुमारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दरियापुर के समक्ष आँगनबाड़ी वाद सं0-01/2020 दायर किया गया। उक्त वाद की सुनवाई के पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर द्वारा दिनांक 27.04.2020 को पारित आदेश में अंकित किया गया है कि;

"..... जितेन्द्र कुमार (मांझी) की पत्नी का नाम निलम देवी है एवं सीमा कुमारी दूसरी पत्नी है तथा सीमा कुमारी द्वारा भी बताया गया कि इंदिरा आवास का लाभ लेने के लिए निलम देवी पति-जितेन्द्र मांझी के नाम से खाता खोला गया एवं आधार भी बनाया गया, जो कि आरोप पिंकी कुमारी द्वारा लगाया गया, सही है।

प्रथम द्रष्टव्य जानकारी जानबूझकर छिपाने के आरोप में सीमा कुमारी का चयन गलत प्रतीत होता है।

अतः सीमा कुमारी का चयन रद्द करते हुए महिला पर्यवेक्षिका को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार सही आवेदिका को अविलंब चयन पत्र निर्गत कर कार्यालय को सूचित करें।"

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता सीमा कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण के समक्ष आँगनबाड़ी वाद सं0-46/21 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 22.05.2021 को पारित आदेश में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर के आदेश को यथावत रखा गया।

5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि आयुक्त न्यायालय के समक्ष सुनवाई के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण से अपीलकर्त्ता सीमा देवी निलम देवी का जितेन्द्र मांझी से संबंध के बिन्दु पर स्वयं जाँचकर स्पष्ट और आत्मभारित प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण के पत्रांक 544/प्रो0, दिनांक 02.05.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि *"निलम देवी, जितेन्द्र मांझी की बहन है। इनके पिता-श्री कामेश्वर मांझी एवं माता कौशल्या देवी द्वारा बताया गया कि निलम देवी मेरी पुत्री है तथा सीमा देवी जितेन्द्र मांझी की पत्नी है।"*

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त प्रतिवेदन से स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती है, जिसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया।

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S) सारण के पत्रांक 544/प्रो0, दिनांक 02.05.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती निलम देवी, जितेन्द्र मांझी की बहन है तथा अपीलकर्त्ता सीमा देवी, जितेन्द्र मांझी की पत्नी है। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं0-01 द्वारा लगाया गया आरोप असत्य पाया गया है। मेधा सूची में क्रम सं0-01 पर रहने तथा वांछित अर्हत्ता को पूरा करने के कारण अपीलकर्त्ता सीमा देवी का चयन प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका के रूप में किया जाना विभागीय मार्गदर्शिका के अनुकूल है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं0-1/2020 में दिनांक 27.04.2020 को पारित आदेश तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं0-46/21 में दिनांक 22.05.2021 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner